भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 4/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/वाल्यूम-I/2016 दिनांक: 29 दिसंबर, 2016

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय- नामनिर्देशन पत्र की प्राप्ति-अवकाश-के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 (1) के अंतर्गत द्वितीय परंतुक में यह उपबंधित किया गया है कि रिटर्निंग अधिकारी को कोई नाम-निर्देशन पत्र ऐसे दिन परिदत्त नहीं किया जाएगा जो लोक अवकाश दिन हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2(4) के अंतर्गत "लोक अवकाश दिन" को कोई ऐसे दिन के रूप में परिभाषित किया गया है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए लोक अवकाश दिन है।

2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20-08-2015 के जरिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवारों को बैंकों के लिए अवकाश दिनों की घोषणा की है।

3. उपर्युक्त विधिक वस्तुस्थिति के दृष्टिगत यह सूचित किया जाता है कि रिटर्निंग अधिकारियों को दूसरे एवं चौथे शनिवारों को, जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत अवकाश दिनों के रूप में घोषित किया गया है, कोई भी नाम-निर्देशन नहीं प्राप्त करने चाहिएं।

4. इसे सभी रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों तथा आपके राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में आधारित सभी राजनीतिक दलों के भी ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(एन.टी. भूटिया)
अवर सचिव